श्री संतोष उराँव, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की अध्यक्षता में दिनांक-18.03.2025 (मंगलवार) को समिति कार्यालय, रांची में कार्यकारिणी समिति की विशेष आकस्मिक (70वीं) बैठक आहूत की गई है। बैठक की कार्यवाही :-

01. **उपस्थिति** : उपस्थिति विवरणी अलग से संलग्न है।

क्रम सं.	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	उपस्थिति
1.	श्री संतोष उराँव, नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववर्त्ती छात्र।	सभापति	उपस्थित
2.	श्री अमित कुमार, (क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड में प्रतिनियुक्त) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य	उपस्थित
3.	श्री राजेश बरवला, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत सदस्य) वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य	उपस्थित
4.	डॉ. कामिनी कुमार (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्) झारखण्ड, रांची।	सदस्य	उपस्थित
5.	श्री संतोष कुमार, प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य सचिव	उपस्थित

02. **कार्यसूची की मद संख्या-01** : दिनांक-27.02.2025 को संपन्न हुई कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की 69वीं बैठक की कार्यवाही को सर्वसम्मति से संपुष्टि प्रदान की गई।

03. **कार्यसूची की मद संख्या-02** : बैठक में प्राचार्य सह-सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि 24 फरवरी, 2025 को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा विद्यालय के प्रशासी पदाधिकारी श्री रौशन कुमार बक्शी को B.A संख्या- 1345/2025 के माध्यम से जमानत प्रदान की गई।

Santosh

जमानत मिलने के उपरांत शिकायतकर्त्ता श्री रविन्द्र कुमार यादव के द्वारा अपने ई-मेल आईडी से देश एवं राज्य के कई उच्चाधिकारियों को इसी केस के संदर्भ में संज्ञान लेने हेतु मेल किया गया है। प्राचार्य द्वारा बताया गया कि श्री रविन्द्र कुमार यादव के मेल को विद्यालय के कुछेक शिक्षक मूलतः श्री अतुल रंजन एक्का एवं श्री राकेश कुमार के द्वारा whatsapp के माध्यम से अनावश्यक रूप से प्रचारित-प्रसारित करने का कार्य किया जा रहा है। माननीय न्यायालय के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर इस प्रकार से उसे राजनीतिक रूप देना न केवल विद्यालय/संस्थान के विरूद्ध कार्य है; अपितु इससे सेवा संहिता का भी स्पष्ट उल्लंघन प्रतीत होता है। शिक्षकों के इस प्रकार के कृत्य को सभी सदस्यों ने अशोभनिय एवं अमार्यदित बताया। साथ ही सदस्यों ने बताया कि शिक्षकों के द्वारा जो इस प्रकार के संस्था विरोधी कार्य किये जा रहे हैं, वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के परिपत्र संख्या-10-सं.सं.-10/नीति नि.-07-02/2024-624, दिनांक-04.02.2025 का भी स्पष्ट उल्लंघन है। तद्नुसार सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि इस विषय पर प्राचार्य अविलम्ब श्री अतुल रंजन एक्का एवं श्री राकेश कुमार से स्पष्टीकरण पृच्छा कर एक सप्ताह के अंदर कड़ी कार्रवाही हेतु संचिका के माध्यम से अपनी अनुशंसा सहित सभापति को प्रेषित करेंगे तथा सभापति के निर्देश/स्वीकृति के आलोक में संस्थान की अक्षुण्णता को बनाये रखने के लिए त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

04. कार्यसूची की मद संख्या-03 : प्राचार्य द्वारा सदस्यों को बताया गया कि विद्यालय के शिक्षक श्री रवि प्रकाश सिंह के द्वारा समिति की नियुक्ति, सेवा-शर्त्त तथा अनुशासन नियमावली- 2011 के नियम-17 का उल्लंघन कर सीधे माननीय मंत्री से मिलने का मात्र सूचनार्थ प्राचार्य को ई-मेल पर दिये थें, जिसपर प्राचार्य के द्वारा उनसे विद्यालय कार्यालय का पत्रांक-450 दिनांक-10.03.2025 के माध्यम से स्पष्टीकरण पृच्छा की गई थी, जिसका श्री रवि प्रकाश सिंह के स्तर से जबाब नहीं मिलने के कारण पुनः विद्यालय पत्रांक-493, दिनांक-17.03.2025 के माध्यम से उन्हें **स्मार पत्र** दिया गया। स्मार पत्र दिये जाने के उपरान्त श्री रवि प्रकाश सिंह का प्रतिउत्तर आज दिनांक-18.03.2025 को ई-मेल के माध्यम से प्राचार्य को प्राप्त हुआ, जिसमें

श्री रवि प्रकाश सिंह ने लिखा है कि संघ के सदस्यों से विमर्श कर प्रतिउत्तर दिया जायेगा। श्री रवि प्रकाश सिंह के प्रतिउत्तर को बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रतिउत्तर के समीक्षोपरान्त सभी सदस्यों ने यह महसूस किया कि श्री रवि प्रकाश सिंह का कृत्य न केवल घोर अनुशासनहिनता का प्रतीक है; अपितु इससे प्राचार्य पद की गरीमा भी आहत हुई हैं। श्री सिंह अपने मूल **कार्यदायित्वों (शिक्षण कार्य)** से हटकर विद्यालय में अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे है; अतएव सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि श्री रवि प्रकाश सिंह को तत्काल निलंम्बित किया जाय; इस हेतु प्राचार्य सह-सदस्य सचिव को अविलम्ब कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया।

05. कार्यसूची की मद संख्या-04 : सभापति द्वारा सदस्यों को बताया गया कि नेतरहाट विद्यालय समिति नियमावली-323, दिनांक-23.10.2009 के नियम-20 में कार्यकारिणी समिति को संस्था हित में कुछेक उप-नियम गठित करने की शक्ति प्रदत्त है। वर्तमान समय में संस्था हित में दो महत्वपूर्ण विषय पर यथा- (क) पूर्ववर्त्ती छात्रों, शिक्षकों व शिक्षाकेत्तर कर्मचारियों के स्वयं अथवा निकट संबंधी के द्वारा विद्यालय में लाभ के उद्देश्य से क्रियाकलाप पर रोक तथा (ख) निविदा नियमावली की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के दृष्टकोण को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रारूप का निर्माण/गठन; तद्नुसार दोनो विषयों पर उपनियम का एक प्रारूप सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया; विमर्शोपरान्त कतिपय संशोधन के साथ उप-नियम के दोनों प्रारूपों को Annex- A एवं Annex- B के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। प्राचार्य सह-सदस्य सचिव को गठित उप-नियम को प्रभावी बनाने हेतु निर्देशित किया गया।

06. अन्यान्य : -

(i) बैठक के क्रम में बिना किसी अनुमति के श्री केदार नाथ लाल दास (पूर्ववर्त्ती छात्र) द्वारा सभापति के कक्ष में घुसकर सभापति एवं अन्य माननीय सदस्यों के साथ बदसलूकी की गई साथ ही श्री दास के द्वारा बैठक को बाधित करने का प्रयास किया गया। बैठक कक्ष से जब श्री केदार नाथ लाल दास को बाहर जाने का आग्रह किया गया तो उन्होंने स्वंय सोशल-मिडिया के माध्यम से अपने कृत्यों पर सहमति व्यक्त करते हुए लिखा कि **"आज कार्यकारिणी**

समिति की बैठक में बिना आमंत्रण के पहूंचा'' श्री केदार नाथ लाल दास के द्वारा इस प्रकार बैठक कक्ष में घुसकर जो अर्मायादित आचारण किए गये उसका सभी सदस्यों ने घोर निंदा की एवं श्री केदार नाथ लाल दास द्वारा किये गये उक्त अर्मायादित एवं अशोभनिय कृत्य के लिए श्री दास के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई हेतु सर्वसम्मति से माननीय सभापति को प्राधिकृत किया गया।

सधन्यावाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Santosh 18-3-2025

(संतोष उराँव)
सभापति
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति।

नेतरहाट विद्यालय समिति

(एम.डी.आई.भवन परिसर,एच.ई.सी.,धुर्वा,रांची–834004)
(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

नेतरहाट विद्यालय समिति, कार्यकारिणी समिति, की दिनांक–18.03.2025 (मंगलवार) को समिति कार्यालय, रांची में आकस्मिक बैठक की उपस्थिति :–

उपस्थिति :

क्रम सं.	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	हस्ताक्षर
1.	श्री संतोष उराँव, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय,	सभापति	Santosh 18-3-2025
2.	श्री अमित कुमार, (क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड में प्रतिनियुक्त) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य	18.03.25
3.	श्री राजेश बखला, उप सचिव, वित्त विभाग, के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत सदस्य) वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य	18/03/2025
4.	डॉ. कामिनी कुमार (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्) झारखण्ड, रांची।	सदस्य	Kamini Kumar 18.03.2025
5.	श्री संतोष कुमार, प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य सचिव	18/03/25

ज्ञापांक– 14/ने.वि.स./2025 **रांची, दिनांक– 19.03.2025**

प्रतिलिपि–

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, झारखण्ड सरकार/ वित्त विभाग (वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य), सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, झारखण्ड सरकार/ प्रो.(डॉ.) कामिनी कुमार, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, 52, सर्कुलर रोड, लालपुर, रांची/ प्राचार्य–सह सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Santosh

सभापति
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति